न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
62 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021	12.07.2021	08.04.2025

डॉ0 मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक ....प्रार्थी

बनाम

1–श्री महावीर प्रसाद जैन पुत्र स्व. श्री राधेश्याम जैन विकता मैसर्स सेहत ड्राई फ्रूट्स पटेल रोड निवाई जिला टोंक निवासी डी–6, महावीर कॉलोनी निवाई जिला टोंक(राज0)। पिनकोड–304021
2–श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र स्व. श्री राधेश्याम जेन प्रोपरायटर मैसर्स सेहत ड्राई फ्रूट्स पटेल रोड निवाई जिला टोंक निवासी डी–6, महावीर कॉलोनी निवाई जिला टोंक(राज0)। पिनकोड–304021
.......अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26की उप धारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थी श्री गजेन्द्र शर्मा उपस्थित।

:–निर्णय–: दिनांक 08/4/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.04.2021 को समय 04:21 पी.एम. पर मैसर्स सेहत ड्राई फ्रूट्स पटेल रोड निवाई जिला टोंक पर पहुँचा। वहॉ पर विकेता की हैसियत से श्री महावीर प्रसाद जैन पुत्र स्व. श्री राधेश्याम जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स सेहत ड्राई फ्रूट्स पटेल रोड निवाई जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री महावीर प्रसाद जैन पुत्र स्व. श्री राधेश्याम जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर श्री महावीर प्रसाद जैन पुत्र स्व. श्री राधेश्याम जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का विकता होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाकर उक्त फर्म का प्रोपरायटर श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम जैन को होना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री महावीर प्रसाद जैन की उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु दुकान में ड्राई फ्रूट्स किशमिश, काजू, बादाम आदि अन्य खाद्य पदार्थ के साथ लगभग 4 किलोग्राम **ड्राई फ्रूट्स किशमिश खुला (Dry Fruits Raisins Loose)** रखा हुआ था जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विकेता श्री

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

महावीर प्रसाद जैन पुत्र स्व. श्री राधेश्याम जैन को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री महावीर प्रसाद जैन पुत्र स्व. श्री राधेश्याम जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विकेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह ड्राई फ्रूट्स किशमिश खुला वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, दुकान में कागज के एक कार्टून में रखे हुए लगभग 4 किलोग्राम में से 1 किलोग्राम **ड्राई फ्रूट्स किशमिश खुला (Dry Fruits Raisins Loose)** वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **ड्राई फ्रूट्स किशमिश खुला (Dry Fruits Raisins Loose)** 1 किलोग्राम को बराबर–बराबर 250–250 ग्राम 4 साफ एवं सुखी चार कागज के गत्तों के डिब्बों में भरकर नियमानुसार चार भाग तैयार कर, डिब्बों के ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–2846 दर्ज कर, विकेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2846नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 2021 / 1007 दिनांक 13.05.2021के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एल0एस0 / 603 / एक्ट / 2021 / 636 दिनांक 22.04.2021 के अनुसार विकेता से वास्ते नमूना जांच कय किया गया **ड्राई फ्रूट्स किशमिश खुला (Dry Fruits Raisins Loose)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zx) के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री गजेन्द्र शर्मा उपस्थित हुये एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **ड्राई फ्रूट्स किशमिश खुला (Dry Fruits Raisins Loose)** का विक्रय कर रहे थे, वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों को पूरा नहीं करता है, उक्त **ड्राई फ्रूट्स किशमिश खुला (Dry Fruits Raisins Loose)** जांच में धारा 3(1)(zx) के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **ड्राई फ्रूट्स किशमिश खुला (Dry Fruits Raisins Loose)** का नमूना जांच में **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 10,000/-(अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08/4/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सौकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0